राजस्थान सरकार

प्रशासन गांवों के संग अभियान 202[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेडा [illegible] भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :– 45/2022 प्रार्थना पत्र

1. [illegible] – करेडा

बनाम

1. [illegible] – करेडा – [illegible]

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 25/5/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा [illegible]/संयुक्त खातों की खाता संख्या 615 आराजी नम्बर 3111/0.2782, 3112/0.1391, 3128/0.8852 .... कुल किता 3 रकबा 1.3025 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया [illegible] नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अ[illegible] खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25/5/22 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे [illegible] पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में [illegible] हेरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। [illegible] का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार [illegible] ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा [illegible] खाता संख्या 615 आराजी नम्बर 3111/0.2782, 3112/0.1391, 3128/0.8852 .... कुल किता 3 [illegible] 1.3025 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु [illegible] हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक करेडा को 600/– रुपये कमिश्नर फीस पर [illegible] किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा [illegible] काश्तकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति [illegible] बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही [illegible]

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड [illegible]
करेडा भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा चाहि जाने [illegible] अनुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेडा भीलवाड़ा

2022/421